

OE-11/Gr-6/F-124-3A/E-5373/



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर - 474 002
Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit-I), M.P.
Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior - 474002
Email:agaumadhyapradesh1@cag.gov.in



दिनांक-
27-07-
2026

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER-60

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद से इस कार्यालय के संवर्ग नियंत्राधीन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री संदीप रॉबिन, वरिष्ठ लेखापरीक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 19.08.2026 से 18.08.2027 (तृतीय वर्ष) तक मुख्यालय कार्यालय के पत्र क्रमांक-60-स्टाफ(एप)-I/14-2023 दिनांक: 27.01.2025 के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों पर विस्तारित किया जाता है कि: -

- पुनः प्रतिनियुक्ति विस्तार नहीं होने की स्थिति में, श्री संदीप स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के अंतिम दिन कार्यभार त्यागकर स्वयं को कार्यभार मुक्त करेंगे।
- उपर्युक्त निर्देश का पालन न करने पर वह स्वतः ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- नियत समयावधि में प्रत्यावर्तन नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अवधि के बाद की उनकी सेवा को सेवा में विराम माना जावेगा।
- संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय से यह सुनिश्चित किया जावेगा कि श्री संदीप की स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के पश्चात् का वेतन रोक दिया जावे।

In pursuance of the orders of the Competent Authority, the deputation tenure of Shri Sandeep Robin, Senior Auditor, from Office of the Principal Accountant General (Audit), Telangana, Hyderabad and presently on deputation to the Office of the Principal Accountant General (Audit-II), Madhya Pradesh, Bhopal, under the Cadre Control of this office, is hereby extended for a further period of one year, i.e. from 19.08.2026 to 18.08.2027 (Third Year), in accordance with Headquarters Office Letter No. 60-Staff (App)-I/14-2023 dated 27.01.2025, subject to the following terms and conditions: -

- In the event of non-extension of deputation, Shri Sandeep shall relinquish the charge and relieve himself on the last day of the approved period of deputation.
- In case of non-compliance with the above direction, he will automatically be liable for disciplinary action.
- If Shri Sandeep is not repatriated within the stipulated time, his service

beyond the approved period will be treated as break-in-service.

(iv) The Pay and Accounts Office concerned shall ensure that the salary of Shri Sandeep beyond the sanctioned period of deputation is withheld.

हस्ता-

उप महालेखाकार /प्रशासन

पृष्ठांक- OE-11/Gr-6/F-124-3A/E-5373/

दिनांक-

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन कार्य हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, को उनके पत्र क्रमांक PAG(Audit)Telangana/Admn-I/Deptn/F.166C/Vol.III/2026-27/53 दिनांक- 22.06.2026 के सम्बन्ध में।
5. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल को उनके पत्र दिनांक-20.03.2026 के सम्बन्ध में ।
6. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, पी.ए.ओ- 2/5, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर।
7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन- 12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, संपदा प्रबंधन एवं गोपनीय कक्ष।
8. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /आई.एस.विंग & eCell, इन्ट्रानेट पर एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्री महेश कुमार अलोरिया, स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड सुनिश्चित करने हेतु ।
10. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
11. सम्बंधित कार्मिक को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा ।
12. सूचना पटल/ऑडिट भवन ।
13. गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

हस्ता-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11